

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, email - scdisability2008@gmail.com, website -www.scdisabilities.org

पत्रांक- 1024/311.1981

दिनांक-....18 जुलाई 2020

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-50/2019

प्रकरण में :- श्रीमती अंजली कुमारी के ऑटिजमग्रस्त पुत्र उत्सव मिश्रा को बिना कोई सूचना के विशेष स्कूल से वापस करने के संबंध में प्राप्त परिवाद।

बनाम :- श्रीमती मनीषा कृष्ण, सचिव, उत्कर्ष सेवा संस्थान, बहादुरपुर, पटना।

वाद की सुनवाई :- 17.02.2020

किशोर उत्सव मिश्रा (दिव्यांग) की ओर से उनकी माता श्रीमती अंजली कुमारी द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम-2016 के अध्याय- (2) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत वाद दायर किया गया है, जिसे सुनवाई हेतु निबंधित किया गया। वाद पत्र में परिवादी द्वारा यह शिकायत की गई है कि आवेदिका के ऑटिजम पीड़ित पुत्र उत्सव मिश्रा को बिना कोई सूचना के विशेष शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्कूल उत्कर्ष सेवा संस्थान, बहादुरपुर, पटना से हटा दिया गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए, उपस्थित होकर जवाब दायर किया है। प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि वादी का नामांकन विद्यालय में पूर्व से है तथा वे विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं।

आवेदिका वाद की सुनवाई में विगत कई तिथि में अनुपस्थित रही है जिससे यह प्रतीत होता है कि उनके शिकायत का निराकरण हो गया है तथा वे इस वाद को आगे नहीं ले जाना चाहती हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वाद का निष्पादन किया जाता है। दोनों पक्षकारों को आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएँ।



17.02.2020

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।